

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 422
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नशे की लत को रोकने के उपाय

+422. श्री राजेश वर्मा:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

श्रीमती शांभवीः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों में एनसीबी, बीएसएफ जैसे केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस द्वारा किए गए नशीले पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारियों और अवैध फसल नष्ट करने की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नशामुक्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत उपचार या परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय “जीरो टॉलरेंस” ड्रग नीति के अंतर्गत सीमावर्ती निगरानी और रोकथाम प्रयासों में वृद्धि सहित प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक निगरानी उपकरण जैसे कि ड्रोन, एआई-आधारित स्कैनर और फॉरेंसिक ड्रग डिटेक्शन किट के साथ सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई/यूजीसी के सहयोग से देशभर में स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए नशीले पदार्थों के विरुद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 422, दिनांक 22.07.2025

अनुसार; वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत की गई जब्तियों और गिरफ्तारियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्रमशः अनुलग्नक-। और ॥ में दिया गया है। वर्ष 2020 से 2024 के दौरान नष्ट की गई अवैध अफीम पोस्त और गांजे की खेती का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा अनुलग्नक-॥। में दिया गया है।

(ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों हेतु उपचार और परामर्श प्रदान करने हेतु नशा मुक्ति कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार की सहायता से चल रहे नशा मुक्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत उपचार अथवा परामर्श सेवाएं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्योरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

(ग) से (ड): सरकार ने मादक पदार्थों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है। मादक पदार्थों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है: -

- (i) एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- (ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।
- (iii) मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती की जांच की निगरानी करने के लिए महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।
- (iv) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं पर और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- (v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ, आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय करता है, ताकि संयुक्त मादक पदार्थ-रोधी अभियान चलाए जा सकें।
- (vi) बंदरगाहों पर मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए कंसाइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की जा रही है।
- (vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 422, दिनांक 22.07.2025

- (viii) जाँच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था में सहायता करने के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।
- (ix) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।
- (x) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय सूचनाओं के आदान-प्रदान और जांच में सहयोग हेतु म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता करता है।
- (xi) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- (xii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी/पीटीजेड कैमरे, आईआर सेंसर और कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम के साथ इन्फ्रारेड अलार्म से लैस एकीकृत निगरानी तकनीक भी संस्थापित की गई है।
- (xiii) भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयासों में उनके उपयोग का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित ॲपरेटरों के साथ ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की गई है।
- (xiv) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग का संज्ञान लिया है और स्कूलों में नशा-रोधी शिक्षा, हानिकारक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए गतिविधियों जैसे बाल सुरक्षा उपायों, कार्यशालाओं, कक्षों में पाठ, छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों के लिए परामर्श और जागरूकता सत्र, चिकित्सीय परामर्श के लिए रेफरल तंत्र, पूर्णकालिक परामर्शदाता और वेलनेस शिक्षक की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने, नशा मुक्त भारत अभियान में भागीदारी आदि के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं।

वर्ष 2018 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	33930.522	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1869.208	874	0
3	असम	15485.596	163525	54346.200
4	बिहार	32442.970	20516	2053.460
5	छत्तीसगढ़	36785.864	127277	3457.720
6	गोवा	79.469	0	0
7	गुजरात	12780.186	27126	0
8	हरियाणा	16233.507	727425	1257.723
9	हिमाचल प्रदेश	1072.006	160609	496.100
10	झारखण्ड	3463.958	1835	98.105
11	कर्नाटक	7489.246	2871	6.000
12	केरल	1378.325	21075	0.012
13	मध्य प्रदेश	3118721.420	629315	570.800
14	महाराष्ट्र	19764.338	143022	908.800
15	मणिपुर \$	40275.660	347309	6.544
16	मेघालय	1417.747	69592	0
17	मिजोरम	250.791	100	0
18	नागालैंड	2819.686	47125	300.000
19	ओडिशा	50759.897	1628	726.000
20	पंजाब	50045.181	6397919	368.401
21	राजस्थान	111430.200	1215771	201.860
22	सिक्किम \$	0.015	1040	5.000
23	तमिलनाडु	12115.702	149032	0
24	तेलंगाना	6054.095	0	0
25	त्रिपुरा	62674.611	643755	23017.800
26	उत्तर प्रदेश	221760.042	306740	7172146.160
27	उत्तराखण्ड	1609.563	117215	0.000
28	पश्चिम बंगाल	31079.905	15241	15692.604
	कुल (राज्य)	3893789.710	11337937	7275659.289
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67.963	0	0
30	चंडीगढ़	51.709	5216	5.400
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	24.769	0	0
32	दिल्ली	6145.663	738256	1120.000
33	जम्मू और कश्मीर*	19353.677	87713	7997.220
34	लद्दाख	-	-	-
35	लक्ष्मीप	0.650	0	0
36	पुदुचेरी	13.541	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	25657.972	831185	9122.620
	कुल (अखिल भारत)	3919447.682	12169122	7284781.909

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: '+' वर्ष 2018 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* वर्ष 2018 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

\$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा वर्ष 2018 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2018 हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जबकी के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

वर्ष 2019 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किंग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	66669.529	160	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1993.750	0	0
3	অসম	17352.544	1604127	7377.658
4	बिहार	5124.761	4910	675.260
5	छत्तीसगढ़	19953.225	86079	1308.500
6	गोवा	85.215	2	0
7	गुजरात	14923.489	4200	0
8	हरियाणा	16806.228	892131	36479.200
9	हिमाचल प्रदेश	1763.853	200386	970.000
10	झारखण्ड	4073.335	3834	455.816
11	कर्नाटक	7800.718	1705	5
12	केरल	2548.475	5661	0
13	मध्य प्रदेश	60864.128	40839	4260.010
14	महाराष्ट्र	20622.717	3220	4191.712
15	मणिपुर \$	46142.187	393309	48.324
16	मेघालय	1281.983	36	79.000
17	मिजोरम	991.189	0	0
18	नागालैंड	1732.271	260849	1.134
19	ओडिशा	61993.835	0	1112.200
20	ਪंजाब	44239.070	10214701	1526.716
21	राजस्थान	310732.428	1510447	206.200
22	सिक्किम	16.798	0	0
23	तमिलनाडु	28757.502	420	0
24	तेलंगाना	13278.093	264	0
25	त्रिपुरा	15858.949	2156754	858528.820
26	उत्तर प्रदेश	272197.319	1355373	10791849.820
27	उत्तराखण्ड	2073.105	52149	94.000
28	पश्चिम बंगाल	36834.860	400747	21316.335
	कुल (राज्य)	1076711.556	19192303	11730485.705
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	121.999	11761	78.200
30	चंडीगढ़	398.727	15098	2.400
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	0	0	0
32	दिल्ली	7895.937	1465832	3000.000
33	जम्मू और कश्मीर*	26517.388	164428	2133.300
34	लद्दाख			
35	लक्ष्मीप	0.466	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	34934.517	1657119	5213.900
	कुल (अखिल भारत)	1111646.073	20849422	11735699.605

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: '+' वर्ष 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* वर्ष 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

\$ मणिपुर द्वारा वर्ष 2019 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2019 हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

वर्ष 2020 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	106042.775	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	4032.540	0	0
3	असम	9256.162	1138466	8554.800
4	बिहार	13162.231	333	5933.700
5	छत्तीसगढ़	29743.484	96445	988.310
6	गोवा	149.542	0	0
7	गुजरात	13213.214	33030	894.325
8	हरियाणा	24695.602	1666911	2197.800
9	हिमाचल प्रदेश	3899.779	3210547	14.000
10	झारखंड	8830.645	4882	345.230
11	कर्नाटक	21729.793	12246	1.610
12	केरल	3060.459	1444	2.100
13	मध्य प्रदेश	58084.552	279760	13611.300
14	महाराष्ट्र	28832.304	66027	519.100
15	मणिपुर \$	1355.763	1117388	5908.020
16	मेघालय	989.816	4234	2.000
17	पिंजोरम	617.735	470	13.280
18	नागालैंड	791.676	179373	76.600
19	ओडिशा	81847.001	0	0
20	पंजाब	37364.676	44649858	4517.190
21	राजस्थान	148602.246	3285638	64.820
22	सिक्किम \$	0.585	19	0
23	तमिलनाडु	298785.294	5554	0
24	तेलंगाना	19708.291	509	150.000
25	त्रिपुरा	14007.145	539241	10436.620
26	उत्तर प्रदेश	327420.562	1401062	965896.170
27	उत्तराखण्ड	1848.326	450215	24.000
28	पश्चिम बंगाल	25509.802	363396	40627.132
	कुल (राज्य)	1283582.000	58507048	1060778.107
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	159.235	921	0
30	चंडीगढ़	95.953	5501	5.780
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	7.360	0	0
32	दिल्ली	5483.247	123220	2558.000
33	जम्मू और कश्मीर	27361.353	618361	40890.110
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्ष्मीप	0.936	0	0
36	पुडुचेरी	77.155	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	33185.239	748003	43453.890
	कुल (अखिल भारत)	1316767.239	59255051	1104231.997

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

\$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा वर्ष 2020 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2020 हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

वर्ष 2021 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	191712.574	58	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3528.944	0	0
3	অসম	17156.703	4305100	496987.615
4	बिहार	35454.469	60769	4825.330
5	छत्तीसगढ़	27884.969	359714	487.930
6	गोवा	136.711	0	0
7	ગુજરાત	21307.037	8622	92.300
8	हरियाणा	21313.606	1037457	695.100
9	हिमाचल प्रदेश	4455.151	5668585	82.000
10	झारखंड	20799.734	2320	951.400
11	कर्नाटक	8479.963	14206	6.260
12	केरल	4030.893	905	0
13	मध्य प्रदेश	68088.000	44955	6900.600
14	महाराष्ट्र	27986.007	190	46.540
15	मणिपुर \$	40008.303	1192913	2108.409
16	मेघालय	986.887	19342	28.860
17	मिजोरम	215.006	35	2.700
18	नागालैंड	2187.668	149557	92.900
19	ଓଡିଶା	169435.890	790	0
20	ਪंजाब	38783.170	17772675	4800.729
21	राजस्थान	142834.881	13445789	39.300
22	सिक्किम	0.738	58541	1204.092
23	तमினான்டு	20354.706	10098	0
24	तेलंगाना	39360.772	220	28.670
25	त्रिपुरा	39797.368	212801	24975.560
26	उत्तर प्रदेश	126657.395	3265073	267909.500
27	उत्तराखण्ड	2019.459	147672	0
28	पश्चिम बंगाल	29414.012	401778	79273.112
	कुल (राज्य)	1104391.016	48180165	891538.907
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	62.384	0	0
30	चंडीगढ़	181.107	18290	18.200
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	14.570	0	0
32	दिल्ली	9921.298	42278	0
33	जम्मू और कश्मीर	22082.414	171954	4069.230
34	लद्दाख	403.078	0	0
35	लक्ष्मीप	2.159	0	0
36	पुदुचेरी	87.676	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	32754.686	232522	4087.430
	कुल (अखिल भारत)	1137145.702	48412687	895626.337

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

\$ मणिपुर द्वारा वर्ष 2021 के लिए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2021 हेतु इन राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

वर्ष 2022 के दौरान देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जब्त किए गए कुल मादक पदार्थ		
		किग्रा.	संख्या	लीटर
1	आंध्र प्रदेश	169223.567	11803	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3533.650	0	0
3	असम	49515.645	5281488	4397079.600
4	बिहार	31985.903	47437	18237.900
5	छत्तीसगढ़	25427.599	519809	44403.200
6	गोवा	206.840	0	0
7	गुजरात	29230.550	185	1242.680
8	हरियाणा	24949.364	878887	980.450
9	हिमाचल प्रदेश	943.433	94208	225.500
10	झारखंड	37322.623	4601	257.950
11	कर्नाटक	10577.238	2820	34.000
12	केरल	5639.273	2808	0.043
13	मध्य प्रदेश	70722.635	35655	6702.520
14	महाराष्ट्र	20185.509	22672	5240.308
15	मणिपुर	18454.016	834967	3461.830
16	मेघालय	3993.255	19325	28.900
17	मिजोरम	388.530	0	63.800
18	नागालैंड	7791.296	169433	251.560
19	ओडिशा	144181.034	0	0
20	पंजाब	49421.858	6246151	5017.200
21	राजस्थान	155161.550	684188	15.800
22	सिक्किम	24.083	24629	9.803
23	तमिलनाडु	27509.701	76540	58.645
24	तेलंगाना	31771.630	512	100.370
25	त्रिपुरा	61795.360	155423	12294.500
26	उत्तर प्रदेश	1051997.001	933689	76593.980
27	उत्तराखण्ड	1492.520	155201	307.000
28	पश्चिम बंगाल	23897.767	631624	67182.860
	कुल (राज्य)	2057343.430	16834055	4639790.399
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60.679	325	2.600
30	चंडीगढ़	360.005	2627	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	11.154	0	0
32	दिल्ली	5512.448	353168	0
33	जम्मू और कश्मीर	17192.409	300776	956.100
34	लद्दाख	0.735	0	0
35	लक्ष्मीप	4.228	0	0
36	पुदुचेरी	90.448	20	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	23232.106	656916	958.700
	कुल (अखिल भारत)	2080575.536	17490971	4640749.099

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

वर्ष 2018 से 2022 ** के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्लोरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1635	1559	1569	2493	4330
2	अरुणाचल प्रदेश	212	182	255	432	716
3	অসম	668	1237	2107	4119	4355
4	बिहार	1040	899	983	1467	1763
5	छत्तीसगढ़	1084	954	1336	1676	1829
6	गोवा	237	239	177	138	199
7	ગુજરાત	255	499	577	946	999
8	हरियाणा	3643	3951	5153	4318	6046
9	हिमाचल प्रदेश	1789	1881	1931	2384	1861
10	झारखण्ड	234	209	344	612	701
11	कर्नाटक	1804	2639	5934	8049	8114
12	केरल	9433	9792	5140	6099	22636
13	मध्य प्रदेश	2459	3826	3926	3929	3393
14	महाराष्ट्र	16094	17945	7437	12718	16777
15	मणिपुर	490	479	364	391	629
16	मेघालय	167	166	150	89	198
17	मिजोरम	232	209	136	163	341
18	नागालैंड	93	243	204	254	352
19	ओडिशा	415	1368	1885	2625	2734
20	ਪੰਜਾਬ	14983	16296	11455	14078	17853
21	राजस्थान	2984	4017	4643	6124	6987
22	सिक्किम	8	25	36	98	72
23	तमिलनाडु	4877	5640	6969	9640	14281
24	तेलंगाना	879	878	1114	2507	3027
25	त्रिपुरा	579	698	662	817	1078
26	उत्तर प्रदेश	9605	12073	12013	12535	12987
27	उत्तराखण्ड	1032	1511	1386	2400	1979
28	पश्चिम बंगाल	2195	2277	2775	2845	2722
	कुल (राज्य)	79126	91692	80661	103946	138959
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	176	152	68	77
30	चंडीगढ़	312	231	119	100	193
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	9	1	14	13	30
32	दिल्ली	774	1072	1085	1115	1670
33	जम्मू और कश्मीर *	1460	1884	1564	2355	3453
34	लद्दाख	-	-	4	5	10
35	लक्ष्मीप	11	16	21	33	4
36	पुदुचेरी	19	21	99	173	416
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	2652	3401	3058	3862	5853
	कुल (अखिल भारत)	81778	95093	83719	107808	144812

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

** प्रकाशित आंकड़े 2022 तक उपलब्ध

वर्ष 2020 से 2024 के दौरान नष्ट की गई अवैध अफीम पोस्त और भांग की खेती का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा

नष्ट की गई पोस्त (एकड़ में)					
राज्य/वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
अरुणाचल प्रदेश	7858	4702	8785	20959	11979
असम	20	5	215	254	0
बिहार	91	0	948	1616.6	2543
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	16	12	1
हिमाचल प्रदेश	10	24	0	0	2
जम्मू और कश्मीर	893	293	89	233	521
झारखंड	495	256	41	5500	6249
कर्नाटक	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	7	6	0	0
मणिपुर	1382	5740	3696	2966	812
महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0	21
राजस्थान	1	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	67
पश्चिम बंगाल	19	0	0	245.8	317
कुल	10,769	11,027	13,796	31,786	22,512

नष्ट किया गया गांजा (एकड़ में)					
राज्य/वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	7083	469	1021	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	25	0
असम	0	0	0	687	28
बिहार	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
गुजरात	0	27	46	85	62
हिमाचल प्रदेश	1582	1043	122	1563	1002
जम्मू और कश्मीर	295	523	365	947	971
कर्नाटक	4	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	71	0	0	0
मणिपुर	1	0	0	10	10
ओडिशा	18361	24550	24207	14433	28592
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	0	0	0	0
तेलंगाना	30	9	0	0	8
त्रिपुरा	1284	1287	1057	3667	2617
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
उत्तराखण्ड	0	0	0	24	0
पश्चिम बंगाल	1	273	0	45	728
कुल	21,559	34,866	26,266	22,507	34,018

सरकार की सहायता से चल रहे नशा मुक्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत उपचार अथवा परामर्श सेवाएं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्योरा

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र और नशा उपचार क्लीनिक

1. राष्ट्रीय नशा मुक्ति उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी एम्स), गाजियाबाद

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	4,613	55,761	65	60,439
2021-22	4,765	60,898	407	66,070
2022-23	7,003	95,086	1,165	1,03,254
2023-24	6,578	1,02,900	1,380	1,10,858
2024-25	6,015	1,13,954	1,345	1,21,314

2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	2,090	12,151	275	14,516
2021-22	3,564	14,650	670	18,884
2022-23	4,400	17,657	1,354	23,411
2023-24	4,966	19,841	1,520	26,327
2024-25	4,673	31,014	1,674	37,361

3. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	801	7,411	34	8,246
2021-22	1,844	14,249	137	16,230
2022-23	3,834	25,946	246	30,026
2023-24	3,553	30,770	254	34,577
2024-25	3,304	35,539	258	39,101

4. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, (सीआईपी) रांची

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	739	1,393	341	2,473
2021-22	1,696	2,233	629	4,558
2022-23	2,326	3,722	838	6,886
2023-24	2,185	4,600	936	7,721
2024-25	1,784	4,252	884	6,920

5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), भुवनेश्वर

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	733	1,088	113	1,934
2021-22	865	635	70	1,570
2022-23	520	328	95	943
2023-24	932	387	70	1,389
2024-25	1,296	3,783	138	5,217

6. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. आरएमएल अस्पताल, (एबीवीआईएमएस और आरएमएल) दिल्ली

वर्ष	नए पंजीकरण	अनुवर्ती उपचार	आईपीडी	कुल
2020-21	215	321	536	1,072
2021-22	465	749	237	1,451
2022-23	684	1,736	313	2,733
2023-24	848	950	249	2,047
2024-25	2,790	2,331	148	5,269

मादक पदार्थ व्यसन उपचार क्लीनिक

क्र.सं.	डीडीसी का नाम	सुविधा के प्रकार एवं जिला	वर्ष	नए मरीज	संचयी पंजीकरण
1.	डीटीसी भट्टिंडा	सिविल अस्पताल भट्टिंडा, पंजाब	2020-21	10334	34065
			2021-22	3648	37713
			2022-23	5490	43203
			2023-24	6970	50173
			2024-जनवरी, 25	13850	64023
2.	डीटीसी कपूरथला	सिविल अस्पताल कपूरथला, पंजाब	2020-21	13072	32508
			2021-22	7931	40439
			2022-23	9930	50369
			2023-24	6434	56710
			2024-जनवरी, 25	4212	60922
3.	डीटीसी कोटला	सामुदायिक क्लिनिक और डीटीसी कोटला, नई दिल्ली	2020-21	160	1078
			2021-22	172	1250
			2022-23	248	1498
			2023-24	228	1726
			2024-जनवरी, 25	162	1890
4.	डीटीसी-रोहतक	पीजीआईएमएस रोहतक, हरियाणा	2020-21	918	7226
			2021-22	1111	8337
			2022-23	1714	10051
			2023-24	1776	11827
			2024-जनवरी, 25	1391	13218
5.	डीटीसी एमसीएच केजीएमप्यू	किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	2020-21	45	383
			2021-22	106	489
			2022-23	284	773
			2023-24	326	1099
			2024-जनवरी, 25	352	1451

6.	डीटीसी एसएनएम, आगरा	एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश	2020-21	वर्ष 2021-2022 में स्थापित
			2021-22	16
			2022-23	72
			2023-24	65
			2024-जनवरी, 25	87
7.	डीटीसी आईएमएचएनएस	मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कश्मीर	2020-21	वर्ष 2021-2022 में स्थापित
			2021-22	3207
			2022-23	3334
			2023-24	1457
			2024-जनवरी, 25	1389
8.	डीटीसी रिम्स	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल, मणिपुर	2020-21	408
			2021-22	583
			2022-23	1586
			2023-24	1151
			2024-जनवरी, 25	771
9.	डीटीसी डीएच थौबल	जिला अस्पताल थौबल, मणिपुर	2020-21	92
			2021-22	129
			2022-23	217
			2023-24	159
			2024-जनवरी, 25	83
10.	डीटीसी बिष्णुपुर	जिला अस्पताल बिष्णुपुर, मणिपुर	2020-21	145
			2021-22	167
			2022-23	302
			2023-24	197
			2024-जनवरी, 25	157
11.	डीटीसी सीसीपुर	जिला अस्पताल चुराचांदपुर, मणिपुर	2020-21	127
			2021-22	240
			2022-23	605
			2023-24	499
			2024-जनवरी, 25	515
12.	डीटीसी कोहिमा	जिला अस्पताल नागा स्वास्थ्य प्राधिकरण कोहिमा, नागालैंड	2020-21	73
			2021-22	110
			2022-23	190
			2023-24	246
			2024-जनवरी, 25	280
13.	डीटीसी डिब्रूगढ़ (एमसीएच)	असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, असम	2020-21	14
			2021-22	109
			2022-23	145
			2023-24	101
			2024-जनवरी, 25	92
14.	डीटीसी सिंगटम	जिला अस्पताल सिंगटम, सिक्किम	2020-21	606
			2021-22	546
			2022-23	399
			2023-24	282
			2024-जनवरी, 25	229
15.	डीटीसी केर्झेम	डीटीसी किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई, महाराष्ट्र	2020-21	574
			2021-22	834
			2022-23	994
			2023-24	1039
			2024-जनवरी, 25	907
				8949

16.	डीटीसी जीटीएच, मुंबई	गोकुलदास तेजपाल अस्पताल मुंबई, महाराष्ट्र	2020-21	74	172
			2021-22	224	396
			2022-23	373	769
			2023-24	409	1178
			2024-जनवरी, 25	327	1505
17.	डीटीसी उस्मानाबाद	जिला अस्पताल उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	2020-21	110	1750
			2021-22	261	2011
			2022-23	638	2649
			2023-24	627	3276
			2024-जनवरी, 25	491	3767
18.	डीटीसी राजावाड़ी	डीटीसी अस्पताल राजावाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र	2020-21	170	1532
			2021-22	246	1778
			2022-23	350	2128
			2023-24	323	2451
			2024-जनवरी, 25	424	2875
19.	डीटीसी भरदावाड़ी	झग ट्रीटमेंट क्लिनिक, भारदावाड़ी, मुंबई, महाराष्ट्र	2020-21	254	2858
			2021-22	470	3328
			2022-23	502	3830
			2023-24	655	4485
			2024-जनवरी, 25	508	4993
20.	डीटीसी सूरत	न्यू सिविल अस्पताल सूरत, गुजरात	2020-21	162	1631
			2021-22	192	1823
			2022-23	243	2066
			2023-24	291	2357
			2024-जनवरी, 25	628	2985
21.	डीटीसी हैदराबाद (आईएमएच)	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, एर्गांडा, हैदराबाद, तेलंगाना	2020-21	645	701
			2021-22	1711	2412
			2022-23	2308	4720
			2023-24	2420	7140
			2024-जनवरी, 25	2692	9832
22.	डीटीसी धुले	श्री भाऊसाहेब हायर गवर्नर्मेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, धुले, महाराष्ट्र	2020-21	213	561
			2021-22	253	814
			2022-23	380	1194
			2023-24	520	1714
			2024-जनवरी, 25	417	2131
23.	डीटीसी नागपुर	सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र	2020-21	270	676
			2021-22	353	1029
			2022-23	853	1882
			2023-24	825	2707
			2024-जनवरी, 25	821	3528
24.	डीटीसी इंदौर	मानसिक अस्पताल (एम.जी.एम मेडिकल कॉलेज), इंदौर, मध्य प्रदेश	2020-21	वर्ष 2021-2022 में स्थापित	
			2021-22	293	293
			2022-23	688	981
			2023-24	1010	1991
			2024-जनवरी, 25	1154	3145
25.	डीटीसी चेन्नई	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु	2020-21	1102	1944
			2021-22	1401	3345
			2022-23	2133	5478
			2023-24	1902	7380
			2024-जनवरी, 25	1174	8554

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ख) वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6878	18658	20036	48094	76061
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	345	30	5	0	0
4	असम	15995	26984	26869	40328	36674
5	बिहार	1414	1583	1487	1639	29429
6	चंडीगढ़	842	1007	1145	5440	5465
7	छत्तीसगढ़	6058	16580	17262	16742	16848
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	165	160	182	187	192
9	दिल्ली	12993	18549	26635	44454	41000
10	गोवा	0	3	0	0	0
11	गुजरात	1289	1571	1607	17658	20824
12	हरियाणा	5692	7352	6893	6790	6550
13	हिमाचल प्रदेश	727	12665	3207	2683	3218
14	जम्मू और कश्मीर	1509	4365	9774	31432	35948
15	झारखण्ड	170	195	194	190	11515
16	कर्नाटक	7153	7206	7179	7501	8248
17	केरल	4239	4746	10385	12747	12943
18	लद्दाख	0	0	0	0	1138
19	लक्ष्मीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	43993	41467	55461	78015	100472
21	महाराष्ट्र	9273	8630	8705	10347	28739
22	मणिपुर	7974	9026	10313	18920	32528
23	मेघालय	297	40	196	417	627
24	मिजोरम	1862	2025	2196	8790	8931
25	नागालैंड	1313	1440	1293	2556	6757
26	ओडिशा	24497	28223	32241	39965	48306
27	पुदुचेरी	365	499	463	4628	4571
28	पंजाब	10534	10159	11239	11486	11603
29	राजस्थान	10117	24001	28982	52713	71355
30	सिक्किम	194	178	165	114	294
31	तमिलनाडु	3320	3938	3668	15938	44271
32	तेलंगाना	5924	6020	6174	6995	12032
33	त्रिपुरा	614	762	416	0	0
34	उत्तर प्रदेश	14295	15523	31041	71721	96749
35	उत्तराखण्ड	1256	4718	5230	5537	5472
36	पश्चिम बंगाल	7118	8099	8942	17786	20133
कुल		208415	286402	339585	581813	798893

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
